संख्या– 1721 / तीस–3–10–75वी / 2000टीसी

प्रेषक,

शिवानन्द ओझा
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 23 जुलाई, 2010

विषयः– वर्ष 2010–11 में परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत (जनरेटर क्रय किये जाने हेतु) वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–51ए / 2010–अस्थाई लेखा / 09 दिनांक 13मई, 2010 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा 73 परिवहन कार्यालयों हेतु लगातार विद्युत सप्लाई हेतु "इको फैन्डली जनरेटर्स क्रय " किये जाने के लिए वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 के आयोजनागत पक्ष में कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय के मद में प्रावधानित धनराशि रू0 14,03,46,000.00 के सापेक्ष प्रति कार्यालय रू04.00 लाख (रूपये चार लाख) की दर से अर्थात 73 कार्यालयों हेतु कुल धनराशि रू0. 2,92,00000 / – (दो करोड़ बानबे लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– इको फैन्डली जनरेटर्स का क्रय / स्थापना डी.आई. / डी.जी.एस.एण्ड डी. के. रेन्ट कान्ट्रेक्ट के अनुसार अथवा यदि रेन्ट कान्ट्रेक्ट उपलब्ध न हो तो उद्योग विभाग द्वारा जारी शासनादेशों के अनुसार मात्रा अनुबन्ध द्वारा किया जायेगा।

2– उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायगा जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3– उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–43 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3055–सड़क परिवहन आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अधिष्ठान व्यय– 46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय के नामें डाला जाएगा।